न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 44/2019 (अपील)

GCMS No. 2019/00142

जगदीश भाई आत्मज पीरूमल जी संचालक सन्त श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा कोटा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

सहायक वन संरक्षक कोटा वन मण्डल कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 20.01.2017 मि0नं0 131/2015 न्यायालय सहा0 वन संरक्षक वन मण्डल कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री शिरीष गौत्तम, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–10.11.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम लखावा की ख0नं0 317 रकबा 0.92 हे0, ख0नं0 318 रकबा 1.83 हे0, ख0नं0 308/490 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 309/491 रकबा 0.03 हे0 एवं खसरा नं0 319 रकबा 1.49 हे0 कुल 5 किता की रकबा 4.69 हे0 वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 131/2015 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदख़ल किया जाकर 21000/– जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 20.01.2017 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 29.05.2019 को पेश की गई है कि अपीलार्थी संस्था विशुद्व सेवाभाव से गौशाला का संचालन 2005 से करती आ रही है गौशला में करीब 700 से अधिक छोटी बड़ी गाये है, जिसमें से अधिकांश बीमार एवं कटाव से बचायी हुई है । दुधारू गांये बहुत कम है । ग्राम लखावा की भूमि ख0नं0 317 रकबा 0.92 हे0, ख0नं0 318 रकबा 1.83

हे0, ख0नं0 308/490 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 309/491 रकबा 0.03 हे0 एवं खसरा नं0 319 रकबा 1.49 हे0 कुल 5 किता की रकबा 4.69 हे0 ग्राम पंचायत एवं पशुपालन विभाग की अनापत्ति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम 1957 एवं संशोधित नियम 2001 के अन्तर्गत गौशाला स्थापित करने हेतु 20 वर्ष की लीज पर जिला कलेक्टर कोटा द्वारा दिनांक 5.11.2004 को आवंटित की गई थी, जिसकी लीजडीड उप पंजीयक मण्डाना में दिनांक 25.1.2005 को सम्पादित की गई । उक्त भूमि पूर्व में राजस्व भूमि थी परन्तु 1981 में जिला कलेक्टर महोदय कोटा द्वारा अन्य भूमियों के साथ वन विभाग को सेट अपार्ट कर दी गयी थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण उक्त भूमि नियमानुसार सन्त श्री आशाराम जी गौशाला समिति कोटा को आवंटित की गयी थी, परन्तु वास्तविक तथ्य का पता चलने पर उक्त आवंटन पत्र सम्माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.6.2016 को निरस्त कर दिया गया था । उक्त परिस्थिति में अपीलार्थी संस्था द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत रिट में दिये गये आदेश दिनांक 29.11.2013 के आधार पर जिला कलेक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/1983–84 दिनांक 10.4.2014 द्वारा नियमानुार अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी जयपुर को डायवर्जन प्रकरण कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, उक्त डायवर्जन प्रकरण दर्ज हो गया है तथा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्ट एवं नोडल अधिकारी एफ सी ए राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2015 में प्रकरण को उप वन संरक्षक कोटा को प्रेषित किया गया है । उक्त डायवर्जन प्रकरण में ग्राम नोनेरा की खसरा नम्बर 40 रकबा 0.74 हे0, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.01 हे0, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.78 हे0, एवं खसरा नम्बर 174 की 0.60 हे0 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.56 हे0 को स्वीकार कर डायवर्जन की अनुशंसा की दिनांक 28.6.2018 को उप वन संरक्षक कोटा द्वारा की जा चुकी है । वर्तमान में प्रकरण एफ आर ए प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला कलक्टर कोटा में विचाराधीन है । उपरोक्त जानकारी होने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना एक पक्षीय आदेश पारित किया गया । जो निरस्तनीय है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम लखावा की भूमि ख0नं0 317 रकबा 0.92 हे0, ख0नं0 318 रकबा 1.83 हे0, ख0नं0 308/490 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 309/491 रकबा 0.03 हे0 एवं खसरा नं0 319 रकबा 1.49 हे0 कुल 5 किता की रकबा 4.69 हे0 ग्राम पंचायत एवं पशुपालन विभाग की अनापत्ति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम 1957 एवं संशोधित नियम 2001 के अन्तर्गत गौशाला स्थापित करने हेतु 20 वर्ष की लीज पर जिला कलेक्टर कोटा द्वारा दिनांक 5.11.2004 को आवंटित की गई थी, जिसकी लीजडीड उप पंजीयक मण्डाना में दिनांक 25.1.2005 को

जिला कलेक्टर
कोटा

सम्पादित की गई । उक्त भूमि पूर्व में राजस्व भूमि थी परन्तु 1981 में जिला कलेक्टर महोदय कोटा द्वारा अन्य भूमियों के साथ वन विभाग को सेट अपार्ट कर दी गयी थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण उक्त भूमि नियमानुसार सन्त श्री आशाराम जी गौशाला समिति कोआ को आवंटित की गयी थी, परन्तु वास्तविक तथ्य का पता चलने पर उक्त आवंटन पत्र सम्माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.6.2016 को निरस्त कर दिया गया था । उक्त परिस्थिति में अपीलार्थी संस्था द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत रिट में दिये गये आदेश दिनांक 29.11.2013 के आधार पर जिला कलेक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/1983–84 दिनांक 10.4.2014 द्वारा नियमानुार अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी जयपुर को डायवर्जन प्रकरण कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, उक्त डायवर्जन प्रकरण दर्ज हो गया है तथा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्ट एवं नोडल अधिकारी एफ सी ए राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2015 में प्रकरण को उप वन संरक्षक कोटा को प्रेषित किया गया है । उक्त डायवर्जन प्रकरण में ग्राम नोनेरा की खसरा नम्बर 40 रकबा 0.74 हे0, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.01 हे0, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.78 हे0, एवं खसरा नम्बर 174 की 0.60 हे0 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.56 हे0 को स्वीकार कर डायवर्जन की अनुशंसा की दिनांक 28.6.2018 को उप वन संरक्षक कोटा द्वारा की जा चुकी है । डायवर्जन की कार्यवाही विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित कर 21000/– का जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें ।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.1.2017 से जुर्माना राशि 21000/– एवं बेदखली के आदेश पारित किये गये है, जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा 29.5.2019 को 2 वर्ष के भी बाद में पेश की गई है जो मियाद बाहर है । तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, चूंकि यह भूमियां राजस्थान राजपत्र दिनांक 14.10.1981 के अनुसार भूमि वन विभाग की होना पाया गया किन्तु राजस्थान राजपत्र दिनांक 17.2.1994 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 2(16) राजस्थान 8/81 दिनांक 14.10.1981 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि वन विभाग को आरक्षित थी, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खाते दर्ज नहीं होने से वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाचयक होने से सहवन से गौशाला को आवंटित कर दी गई जिसे जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.6.2016 से निरस्त किया जा चुका है । अर्थात भूमि वन विभाग की होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित है । अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 29.05 2019 को पेश की गई है जो विलम्ब से पेश है, अपीलान्ट द्वारा विलम्ब

जिला कलक्टर
कोटा

से पेश करने के कारण लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2017 की प्रथम जानकारी दिनांक 20.5.2019 को सहायक वन संरक्षक कोटा के कर्मचारी 21000/– वसूल करने तथा संस्था को बेदखल करने के लिये मौके पर आने पर होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब को माफ करने का कोई ठोस कारण तो नहीं बताया है किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए हम इस अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है ।

7. ग्राम लखावा की भूमि ख0नं0 317 रकबा 0.92 हे0, ख0नं0 318 रकबा 1.83 हे0, ख0नं0 308/490 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 309/491 रकबा 0.03 हे0 एवं खसरा नं0 319 रकबा 1.49 हे0 कुल 5 किता की रकबा 4.69 हे0 ग्राम पंचायत एवं पशुपालन विभाग की अनापत्ति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम 1957 एवं संशोधित नियम 2001 के अन्तर्गत गौशाला स्थापित करने हेतु 20 वर्ष की लीज पर जिला कलेक्टर कोटा द्वारा दिनांक 5.11.2004 को आवंटित की गई थी, किन्तु उक्त भूमियां राजस्थान राजपत्र दिनांक 14.10.1981 के अनुसार भूमि वन विभाग की होना पाया गया किन्तु राजस्थान राजपत्र दिनांक 17.2.1994 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 2(16) राजस्थान 8/81 दिनांक 14.10.1981 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि वन विभाग को आरक्षित थी, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खाते दर्ज नहीं होने से वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाचयक होने से सहवन से गौशाला को आवंटित कर दी गई जिसे जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.6.2016 से निरस्त किया जा चुका है अर्थात जैर अपील आदेश में वर्णित भूमि वन विभाग की भूमि होने से अपीलान्ट अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज है । अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त भूमि के बदले ग्राम नोनेरा की खसरा नम्बर 40 रकबा 0.74 हे0, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.01 हे0, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.78 हे0, एवं खसरा नम्बर 174 की 0.60 हे0 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.56 हे0 को स्वीकार कर डायवर्जन की अनुशंसा की दिनांक 28.6.2018 को उप वन संरक्षक कोटा द्वारा की जा चुकी है । किन्तु डायवर्जन स्वीकार नहीं हुआ है एवं अभी प्रकरण जैरकार होना जाहिर है ऐसी स्थिति में अतिक्रमित भूमि वन विभाग की ही भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.1.2017 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.1.2017 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा